



2026:AHC:18108

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 400 वर्ष 2026

प्रेम प्रकाश सिंह

....याचिकाकर्ता

बनाम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और 2 अन्य

....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रतीक कुमार मिश्र, रामेश्वर तिवारी, श्रेय सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : अनीश कुमार सिन्हा, अरविंद श्रीवास्तव ii, आशीष मिश्रा

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेय सिंह, प्रतिपक्षी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता श्री राहुल श्रीवास्तव और प्रतिपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार की बात सुनी।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.10.2019 को पारित पदोन्नति आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके तहत प्रतिपक्षी संख्या 3 को पदोन्नत किया गया है।"

II. याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की स्थिति को सुधारने के लिए परमादेश के रूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

III. वरिष्ठता में संशोधन के बाद के लाभ प्रदान करने के लिए परमादेश के समान रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई है, क्योंकि तीसरे प्रतिपक्षी का दिनांक 16.10.2019 का पदोन्नति आदेश इस याचिका के माध्यम से चुनौती का विषय है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि इतनी देरी के बाद न्यायालय में आने का क्या कारण है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान प्रस्तर-33 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:-

"याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उसके कनिष्ठ अधिकारियों ने इसे कभी भी प्रतिपक्षी संख्या 2 तक नहीं पहुंचने दिया।"

4. उक्त प्रस्तर को सरसरी तौर पर देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि छह वर्ष से अधिक की भारी देरी को समझाने वाला कोई विचारणीय स्पष्टीकरण नहीं है। दुर्भाग्यवश, पदोन्नति आदेश भी संलग्न नहीं है।

5. तदनुसार, हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया जाता है।

6. रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

27 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)